>

Title: Need to permit mining activity in Goa.

श्री गणेश सिंह (सतना): मैं सरकार का ध्यान गोवा में खनन पर लगे प्रतिबंध की ओर दिलाना चाहता हूं। सितंबर, 2012 में शाह आयोग कि रिपोर्ट सदन में पेश की गई और कार्रवाई के तौर पर गोवा सरकार एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गोवा के सभी खनन कार्यों तथा खनन उद्योगों को निलंबित कर दिया गया। अक्तूबर, 2012 में उच्चतम न्यायालय ने बंद पड़ी खदानों पर प्रतिबंध को अपनी सहमति दी।

शाह आयोग की रिपोर्ट में आरोप था कि राज्य सरकार को खनन पट्टे के बाहर खनन कार्य से 35000 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ और जब शाह आयोग द्वारा सुझाये गये तरीके से सर्वे कराया गया तो ज्ञात हुआ कि ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में बताया कि राज्य सरकार ने कानूनी दायरे में रहकर खनन कंपनियों को बाहर की भूमि पट्टे पर देकर 235 करोड़ रू0 की कमाई की। ऐसा इसलिए क्योंकि खनन कंपनियां केन्द्र व राज्य सरकार से खनन की मंजूरी लेने जा रही थी।

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आज तक गोवा में कोई परिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित नहीं किया गया है और यह भी आरोप अस्वीकार्य है कि वन्यजीव अधिकारियों की मंजूरी के बिना इन क्षेत्रों में खनन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा शाह आयोग रिपोर्ट ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट को दी अपनी रिपोर्ट में कहा कि गोवा में 2003 के बाद किसी भी अभ्यारण्य में एक भी खनन नहीं हुआ।

अतः मेरा आग्रह है कि ऐसे पट्टा धारकों को खनन के संचालन की अनुमति तुंत दी जानी चाहिए जो पर्यावरण संबंधी मंजूरी की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। खनन प्रतिबंध हटने पर 100000 आश्रितों को रोजगार मिलेगा।